कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ14()एफसीए/उवसं/2017-18/12602

दिनांक:-30/11/12

मुख्य वन संरक्षक अजमेर।

ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का संदर्भ:-पत्रांक 8 बी/राज/08/26/2017/एफ.सी/595 दिनांक 14.11.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में आक्षेप लगाया जाकर सूचना चाही जाने पर सूचना निम्नानुसार संलग्न अग्रिमक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

क्र.सं.	भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेप दि. 14.11.2017	प्रत्युत्तर
1.	The Kml files for forest land proposed to be diverted	के.एम.एल फाईल पूर्व में प्रस्तावों के साथ
	and proposed land for Compensatory Afforestation	संलग्न कर दी गई है। प्रकरण में जिस
	(CA) have not been submitted with hard copy of	रथल पर 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति
	proposal. Same need submission.	वृक्षारोपण कराया जाना है उसे जी.टी.
		शीट में मार्क कर प्रस्तावों के साथ पूर्व
		में संलग्न कर दिया गया है।
2.	Sol Toposheets of forest land proposed to be	वन भूमि के बदले 10 गुना क्षेत्र में कराये
	diverted, proposed land for CA (in original; 1:50,000	जाने वाले दण्डात्मक वृक्षारोपण क्षेत्र को
	scale) need submission.	जी.टी. शीट में मार्क कर दिया गया है।
		जी.टी. शीट संलग्न (A)
3.	Violation of FC Act, 1980 has been reported in the	वन भूमि के बदले 10 गुना क्षेत्र में कराये
	proposed for which a provision of penal CA is to	जाने वाले दण्डात्मक वृक्षारोपण योजना
	imposed. In this regard, scheme of penal CA (10 times	संलग्न प्रेषित है। (B)
	of extent of violation i.e. 0.0225X10=0.225ha)	
	alongwith. Kml file and toposheet shall be submitted.	المعالمة الم
4.	Details of action taken on the violation alongwith	एफ.आई.आर. एवं जुर्माने की रसीद की
	copy of FIR & copy of offence report must be	छाया प्रति संलग्न है।
	submitted. The proposal for diversion has been	
	initiated after prolonged delay for which explanation	
	must be furnished by the State Government.	

संलग्न:-चार सेट

भवदीय

उप वन सरंक्षक अजमेर

क्रमांक एफ14()एफसीए/ उवसं/2017-18/12603

दिनांक:-30/11/17 प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए, राज.

जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन सरंक्षक